राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अनुभाग–6

क्रमाक एफ. 3(3)ग्रावि/अनु0–6/2005 जयपुर,,दिनांक

परिपत्र

''डांग क्षेत्रीय विकास योजना'' – दिशा निर्देश

1.0 प्रस्तावना :–

1.1 राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी जिलो के दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र आर्थिक ,सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ हैं। इस क्षेत्र के विकास हेतु यद्यपि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयास किये जाते हैं । परन्तु इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बजट इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं हो पाता हैं जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र विकास के पैरामीटर्स की दृष्टि से अन्य सामान्य क्षेत्रों से पिछडा हुआ हैं ।

1.2 दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डांग क्षेत्र विकास योजना को पुनः प्रारंभ करने की माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में यह योजना प्रारंभ की गयी हैं ।

1.3 डांग क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के 8 जिलों की 21 पंचायत समितियों की 357 ग्राम पंचायतों को पूर्वानुसार ही सम्मिलित किया गया हैं जिसका विवरण परि0–1 पर संलग्न हैं ।

2.0 योजना का उद्देश्य :–

2.1 दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप आर्थिक , सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना ।

2.2 सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।

2.3 स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

2.4 स्थानीय एवं अन्य लोगों की जन–भागीदारी सुनिश्चित करना ।

2.5 स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनको जीवकोपार्जन के लिए संसाधन उपलब्ध कराना ।

3.0 योजना की विशेषताऍं :–

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना हैं।

3.2 यह योजना डांग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो सकेगी ।

3.3 इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा ।

3.4 इस योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी जो राज्य के अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिये लाभप्रद हैं ।

4.0 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–

4.1 इस योजनानतर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा , जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों/ आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हो ।

4.2 इस योजनान्तर्गत सम्बन्धित जिले के केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जन आंकांक्षाओं के अनुरूप जनोपयोगी कार्य करवाये जा सकेंगे ।

4.3 इस योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यो को स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके लिए राज्य सरकार की वार्षिक योजना में साधारणतया धनराशि या तो नहीं मिलती हो या अपर्याप्त राशि ही मिल पाती हो।

4.4 इस योजना द्वारा केवल ऐसे कार्यो पर ही राशि व्यय की जा सकेगी , जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो ।

4.5 इस योजनानतर्गत पेयजल हेतु हैण्ड पम्प/ट्यूब वैल/नलकूप सम्बन्धित कार्य, सडक निर्माण, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, सम्पर्क सडक, पुलिया/रपट निर्माण, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधायें, चिकित्सालय/डिस्पेंसरी भवन निर्माण, पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, पुस्तकालय भवन, सार्वजनिक शैचालय निर्माण वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रेक्चर आदि जैसे कार्यो के साथ–साथ जीवकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजनायें भी स्वीकृत की जा सकेगी ।

5.0 योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :–

5.1 किसी भी पंजीकृत संस्था/ ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियां बनाने के लिए राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी ।

5.2 इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी :–

(अ) अनुदान एवं ऋण ।

(ब) वाणिज्यिक संगठन / निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति ।

(स) केवल वस्तु / सामान की खरीद ।

(द) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा ।

(य) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।

(र) धार्मिक पूजा स्थल ।

(ल) आवृतक व्यय ।

6.0 कार्यो की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन :–

6.1 डांग क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) होगी ।

6.2 डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिले को आंवटित बजट की सीमा में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित ''जिला डांग क्षेत्र विकास समिति'' की बैठक में कार्यो का अनुमोदन कराया जाकर प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये जायेंगे । इन प्रस्तावों का राज्य स्तर पर परीक्षण कर डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा अनुमोदन कराया जायेगा । मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यो का क्रियान्वयन जिला कलक्टर्स द्वारा जारी स्वीकृति उपरान्त जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जावेगा ।

6.3 विकास कार्यो की स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर पर जारी की जा सकेंगी ।

6.4 स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जावेगा । विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जा सकते हैं , परन्तु इसके लिए किसी प्रकार के प्रोरेटा चार्जेज एवं टेण्डर प्रीमियम देय नहीं होगा ।

6.5 जीवकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजना का क्रियान्वयन सुप्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्थायें जिन्हें जीवकोपार्जन(Livelyhood) की परियोजना संचालित करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभाव हो एवं संस्था आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से सुदृढ हो, के द्वारा भी कराया जा सकेगा ।

7.0 धन राशि का अवमोचन :–

राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान / बजट पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को वार्षिक आवंटन 50 प्रतिशत राशि उनको डांग क्षेत्र में उपलब्ध गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का आवंटन राज्य की साक्षरता प्रतिशत में से डांग क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत को घटाते हुये पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जावेगा ।

8.0 प्रबोधन व्यवस्था :–

8.1 निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा ।

8.2 इस योजना अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रति माह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह की समाप्ति के बाद 8 दिवस मे भिजवानी होगी तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 15दिवस में भिजवानी होगी ।

8.3 कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में कराये गए कार्यो के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो का भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे ।

9.0 कार्यो के तकमीने तैयार कराना एवं उनका क्रियान्वयन

विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यो के तकमीने तैयार करवायें जावेंगे तथा उनका क्रियान्वयन करवाया जावेंगा।

10.0 पूर्णता प्रमाण पत्र

निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप तैयार करवाये जावेगे।

11.0 अभिलेख संधारण

अभिलेख संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा ।

12.0 परिसम्पत्तियों का ब्यौरा

योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेंगा ।

13.0 अंकेक्षण

जिला स्तर पर योजना के लेखों का प्रतिवर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के तीन माह बाद विभाग को भिजवायी जावेगी ।

14.0 नोडल विभाग

राज्य स्तर पर ग्प्रमीण विकास विभाग उक्त योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल एजेन्सी होगी ।

(ए.के. सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सचिव, महामहीम राज्यपाल, राज0 जयपुर ।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान /सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4. निजी सचिव,राज्य मंत्री, ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव,................................।
8. संभागीय आयुक्त ,कोटा/ भरतपुर ।
9. उप शासन सचिव, आयोजना विभाग ।
10. शासन उप सचिव (प्रशासन) / परि0 निदेशक एवं उप सचिव (समस्त) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
11. जिला कलक्टर, भरतपुर, बारां, धोलपुर, करोली, स0माधोपुर, बून्दी, कोटा एवं झालावाड ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर, बारां, धोलपुर, करोली, स0माधोपुर, बून्दी, कोटा एवं झालावाड ।
13. रक्षित पत्रावली ।

(ओंकार सिंह)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)

डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र

क्र,सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	स0माधोपुर	1. खण्डार 2. गंगापुरसिटी	16 05
2	करोली	1. करोली 2. सपोटरा 3. हिण्डोन	44 51 06
3	कोटा	1. ईटावा	18
4	बून्दी	1. के0पाटन	14
5	बारां	1. अन्ता 2. किशनगंज 3. शाहबाद 4. छबडा 5. छीपाबडोद 6. अटरू	09 12 12 15 14 12
6	धोलपुर	1. धोलपुर 2. राजाखेडा 3. बाडी 4. बसेडी	16 24 14 19
7	भरतपुर	1. रूपवास 2. बयाना	06 08
8	झालावाड	1. मनोहरथाना 2. बकानी	20 23
	योग	21	357